

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 13 ( ) सा.सु./दू.क./साम्याअदि/13/ 9577  
आदेश

जयपुर, दिनांक : 06/08/13

वर्ष 2013-14 बजट घोषणा संख्या 85 की क्रियान्विति हेतु विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धों के लिए आवासीय भोजन-मैस भत्ता प्रति आवासी प्रतिमाह राशि 1250/- रुपये को बढ़ाकर 1750/- प्रति आवासी प्रति माह निर्धारित की जाती है। 1750/- 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी मानी जायेगी। भोजनादि-मैस भत्ता दरों का मदवार विवरण निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	समग्री (अ) राशन स्कैल	मात्रा (याग) प्रतिदिन प्रति आवासी	अधिकतम स्वीकृत राशि	अधिकतम व्यय राशि (प्रतिमाह प्रति आवासी)
1.	आटा (प्रतिदिन प्रति आवासी)			1500/-
2	चावल (प्रतिदिन प्रति आवासी)	500ग्राम	8.00	
3	पापड (प्रतिदिन प्रति आवासी)	50ग्राम व एक पापड	2.00	
4	सब्जी (प्रतिदिन प्रति आवासी)	दो नग	1.00	
5	दाल (प्रतिदिन प्रति आवासी)	100ग्राम	4.50	
6	तेल (प्रतिदिन प्रति आवासी)	50ग्राम	2.50	
7	मसाले (प्रतिदिन प्रति आवासी)	20ग्राम	2.00	
8	दूध-दही-घाय(प्रतिदिन प्रति आवासी)	15ग्राम	4.00	
9	फल (मौसम के अनुसार)	150-30- 20 एमएल	8.00	
10	शक्कर/गुड (प्रतिदिन प्रति आवासी)	100ग्राम	8.00	
11	पोह/खीले/चने/कॉन्फलेक्स (प्रतिदिन प्रति आवासी)	50ग्राम	2.50	
12	घाय पत्ती(प्रतिदिन प्रति आवासी)	50ग्राम	2.50	
13	कूकिंग गैस(प्रतिदिन प्रति आवासी)	10ग्राम	2.00	
14	गरियल तेल (बातों हेतु)		2.00	
15	विशेष भोजन स्पेशल डाइट (प्रति आवासी प्रतिमाह)	65ग्राम (प्र.आ. प्र.दि.)	1.00	
16	नहाने का साबुन		20.00	100/-
17	कपड़े धोने का साबुन	2नग (प्रत्येक 100ग्राम)	25.00	
18	दूधपेस्ट व डुध	4नग (प्रत्येक 200ग्राम)	20.00	
19	घाल कटिंग	20ग्राम व 3नग(प्रत्येक 4 गाह)	15.00	
	वस्त्र (पुरुष / स्त्री)	(प्रतिमाह प्रति आवासी)	20.00	150/-
1	कमीज		वर्ष में दो बार 20जनवरी एवं 15अगस्त को वितरण	
2	धोती	02नग		
3	पायजामा	02नग		
4	छट्टी/बनिथल	02नग		
5	साडी/सलवार सूट नय दुपटा	02-02नग		
6	ब्लाउज	02नग		
7	पेटिकोट	04नग		
8	अपडर गारमेंट्स	04नग		
9	सोलिया, कमा	04-04नग		
10	स्कीपर/ब्रथल	02जोड़ी		
				1750/-


भोजनादि-मैस भत्ता के लिये बढ़ाई गई राशि की स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या-161300552 दिनांक 29.3.2013 के द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आयुक्त 1/13

क्रमांक : एफ 13 ( )सा.सु./वृ.क./सान्याअवि/13/ 9578-94 जयपुर, दिनांक : 06/07/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय जयपुर।
- 2 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर
- 5 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 7 संयुक्त सचिव वित्त व्यय-11 विभाग शासन सचिवालय जयपुर
- 8 संयुक्त सचिव आयोजना वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर
- 9 कार्यालय निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा न0-98-ए, शासन सचिवालय, जयपुर
- 10 वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास
- 11 संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
- 12 ए0सी0पी0 मुख्यावास को ऑन लाईन किये जाने के संबंध में।
- 13 समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी.....
- 14 लेखाकार, आडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
- 15 आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)